

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
देहरादून ।

शहरी विकास अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 29 जनवरी, 2018

विषय- पालिका केन्द्रीयित सेवा के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 01 जुलाई, 2016 से मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4422/श0वि0नि0-16-17-31/01 पे0अके0-11/2001 दिनांक 02.01.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पालिका केन्द्रीयित सेवा के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन पर मंहगाई भत्ते दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-297/XXVII(7)02/2016 दिनांक 30.12.2016 के द्वारा राज्य सरकार के पालिका केन्द्रीयित सेवा के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई राहत दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 02 प्रतिशत, कार्यालय ज्ञाप संख्या-95/XXVII(7)02/2016 दिनांक 17.05.2017 के द्वारा 01 जनवरी, 2017 से 04 प्रतिशत एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-89/XXVII(7)02/2016 दिनांक 06.10.2017 के द्वारा 01 जुलाई, 2017 से 05 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव ।

संख्या: 142/IV(1)2018-0(न0वि0)/2001 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड (द्वारा निदेशक, शहरी विकास निदेशालय)।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, परीक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।